राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	541/2024 मूली देवी बनाम राजू उर्फ़ राजेन्द्र हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
04/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/10/2022 पारित करते हुये तहसीलदार तुंगा को पटवारी एवं भू.अ. नि. के साथ टीम गठित कर दिनांक 16/11/2022 को मौके पर पहुंचकर वादग्रस्त भूमि का उभयपक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/10/2022 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में सहखातेदारान के मध्य विभाजन हेतु कुर्रेजात तलब किये जाने हेतु अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारी किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक अनिवार्य एवं आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर लम्बित रखा जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है एवं अपीलार्थी द्वारा तकनीकी बिन्दओ को उद्धरित करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री को अपील के माध्यम से निरस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जिसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07/10/2022 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	